U;k;ky; fMoh tuy dfe'uj] tks/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh %ch- ,y- dkBkjh] vkbZ-,-,l

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 22/2018

**vihykUV** बनाम **jLikMUVl**

दीपाराम पुत्र जूठाराम मेघवाल, निवासी– मोकडी खेडा, तहसील सायला जिला जालोर।

1. स्व0 भोमाराम पुत्र ओटा मेघवाल के कायम मुकामः––
   1. प्रकाश पुत्र
   2. दिनेश पुत्र
   3. पेपोदेवी पत्नी निवासी– शांतीनगर पावर हाउस के सामने जालोर।
   4. पवनी पुत्री निवासी– रामदेवजी का बास, आहोर
   5. पुष्पा पुत्री निवासी हनुमानजी वाली गली, ग्राम हरजी, आहोर
   6. राधा पुत्री निवासी हनुमानजी वाली गली, ग्राम हरजी, आहोर
2. श्रीमती कोकू पुत्री हीरा पत्नी प्रभू मेघवाल, निवासी–मादडी तहसील आहोर
3. श्रीमती सुखी पुत्री ओटा पत्नी रंगाजी निवासी– गुडा बालोतान, तहसील आहोर
4. श्रीमती जमना पत्नी थानीया
5. भबूताराम पुत्र थानीया
6. चम्पालाल पुत्र थानीया
7. लक्ष्मणराम पुत्र थानीया
8. कमला पुत्री थानीया निवासी– शांतीनगर, जालोर।
9. छगनलाल पुत्र कनीराम
10. मांगीलाल पुत्र कनीराम
11. श्रीमती पोनी पत्नी कनीराम
12. खरगीदेवी पुत्री कनीराम
13. पीकूदेवी पुत्री कनीराम निवासीगण– शांतीनगर, जालोर
14. खंगारा पुत्र भगाजी
15. बाबूलाल पुत्र भगाजी

16 गिरधारी पुत्र भगाजी निवासी– भैसवाडा, आहोर
17. टीयादेवी पुत्री भगाजी
18. केबूदेवी पुत्री भगाजी निवाासी– शांती नगर, जालोर
19 गलबा पुत्र चौपाजी के कायम मुकामः–
1. कमलादेवी पत्नी
2. दाडमी बेवा सुरेश पुत्र गलबाराम
3. महेन्द्र पुत्र
4. गोविन्द पुत्र
5. टीना पुत्री
6. मन्जू पुत्री गलबाराम
20. लेरकी पुत्री चौपा निवासी–अम्बेडकर कॉलोनी, जालोर।
21. ग्राम पंचायत, लेटा जरिये सरपंच
22. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार आहोर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.06.2017 जो उपखण्ड अधिकारी, जालोर ने राजस्व अपील संख्या 13/2014 भोमाराम वगैराह बनाम मृतक श्रीमती नाजू वगैराह में पारित किया

**mifLFkfr%&&**

1. श्री अमित मेहता, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री मोहनराम सुथार, अधिवक्ता रेस्पो0 सं 1 ता 6 व 9 ता 20 की ओर से
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 सं 21.22 की ओर से उपस्थित

**fu.k;**

**fnukd 30 vDVwcj] 2019**

1. अपीलार्थी की ओर से यह द्वितीय राजस्व अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, जालोर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 13/2014 में दिनांक 23.06.2017 को पारित किये गये अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिभाषकों की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रथम अपील दिनांक 29.12.2014 को रेस्पो0 संख्या 1 ता 2 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 3 ता 6 एवं रेस्पो0 संख्या 11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपील पेश होते समय जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 ग्राम जालोर बी प्रभावशील थी। मूल खातेदार थानीया पुत्र हीरा का नाम सम्वत 2067–70 की जमाबन्दी में नाम दर्ज था। थानीया के द्वारा अपने हिस्से का सम्पूर्ण रकबा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामें के नाथीया पुत्र भूबा, मांगीलाल, गलबाराम, डूंगाराम, रमेश पिसरान चौपा, लेरकी पुत्री चौपा को कर दिया जिसके आधार पर नामा0 संख्या 1842 दिनांक 14.3.2011 को दर्ज हुआ। तत्पश्चात मांगीलाल, गलबाराम, डूंगाराम, रमेश पिसरान चौपा, के द्वारा दिनांक 27.11.2015 व 8.8.2016 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामें के मुझ अपीलान्ट को बेचान कर दिया। जिसके आधार पर नामा0 संख्या 2500 व नामा0 संख्या 2590 अपीलान्ट के नाम दर्ज किये गये थे, और उसी के आधार पर जमाबन्दी में इन्द्राज किये गये। मौके पर कब्जा के आधार पर पर धारा 53(2) आरटी एक्ट के तहत आपसी सहमति से सभी पक्षकारान के मध्य बंटवाडा हो गया जिसके आधार पर नामा0 संख्या 2600 दिनांक 19.9.16 स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात खाता विभाजन होकर अलग से अपीलान्ट के नाम जमाबन्दी में दर्ज हो गया। उपरोक्त कथनों की पुष्टि अपील के संलग्न जमाबन्दी के अवलोकन से स्वतः प्रकट होती है। रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा अपील पेश करते समय अपीलान्ट भी तत्समय में आवश्यक पक्षकार था क्योंकि उनका नाम जमाबन्दी में उस समय भी दर्ज रहा और आज भी दर्ज चला आ रहा है। उसके उपरान्त भी रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा अपनी प्रथम अपील में न्यायालय को गुमराह करने की नियत से व दुरभी संधि के तहत जानबूझकर ये तथ्य छुपाये और चालू रेकर्ड की प्रतियॉ पेश नहीं की। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलान्ट का नाम हटाये जाने का अप्रत्यक्ष आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त करने योग्य है।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुतीकरण के दौरान मुझ अपीलान्ट को और मांगीलाल, गलबाराम, डूंगाराम, रमेश पिसरान चौपा को भी आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही उसे अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा मिलावट करते हुए अपील पेश की। रेस्पोडेन्ट कोकू व नाजू ने अपने आपको हीरा पुत्र राजा की पुत्रीया होना बताया है जबकि वे उसकी पुत्रिया नहीं है। इसके अतिरिक्त नाजू की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसे में भी उसके वारिसानों को अपने ननिहाल से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकते है। ऐसे में प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज किये जाने योग्य थी।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना में नामा0 संख्या 2798 दिनांक 6.3.2018 को स्वीकृत होकर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में नोट लगाया कि मृतक कनीराम प्रथम अपील में रेस्पोडेन्ट के वारिसान व रेस्पोडेन्ट संख्या एक नाजू के वारिसान के नाम म्यूटेशन स्वीकृत है। जबकि प्रथम अपील में ये लोग खरगीदेवी, पीकूदेवी, पुत्रीया कनीराम व टीयादेवी, केबूदेवी पुत्रीया भगा पक्षकार ही नहीं थे। उसके बावजूद भी उनका नाम जमाबन्दी में दिनांक 6.3.2018 को दर्ज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 1975 में ही ओटा के द्वारा अपना सम्पूर्ण हक मोखिक रूप से थानीया के पक्ष में कर दिया था जिसके बाद ही अपीलाधीन नामा0 संख्या 549 अकेले थानीया के पक्ष में स्वीकृत किया गया था। थानीया के द्वारा अन्य रेस्पोडेन्टस के पक्ष में बेचान हो जाने पर नामा0 संख्या 1842 दिनांक 14.3.2011 को स्वीकृत हो गया था। उक्त नामा0 के आधार पर उसके पक्ष में दर्ज हुई भूमि को उसके द्वारा अपने जीवनकाल में ही नाथीया, वल्द भूबा, मांगीलाल, गलबाराम, डूंगाराम, रमेश पिसरान चौपा, लेरकी पुत्र चौपा मेघवाल को कर दिया था। तत्पश्चात इन लोगों के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट को बेचान कर दी गई। ऐसे में उसके पास कोई भूमि शेष नहीं रही थी तो अपीलाधीन नामा0 को निरस्त कर दिये जाने से रेस्पो0 संख्या एक व दो को किस प्रकार से हक–अधिकार दिये जा सकते थे।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हें पक्षकार बनाये बिना अपील में निर्णय पारित करवा लिये जाने की जानकारी अन्दर म्याद नहीं हो पाने के कारण उसके द्वारा यह द्वितीय अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है। अपीलान्ट को उक्त आदेश की दिनांक 6.3.2018 को होने पर उसके द्वारा आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर यह अपील प्रस्तुत की गई है अतः विलम्ब को क्षमा किया जावें। अतः उपरोक्त सभी ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन नामा0 संख्या 549 को बहाल करते हुए अपीलान्ट के पक्ष में हुए बेचान के आधार पर स्वीकृत किये गये नामान्तरकरणों एवं जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टियों को यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

7. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पूर्वज स्व0 हीरा पुत्र राजा भांबी की खातेदारी की ग्राम लेटा के खसरा संख्या 2283 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा, ख0सं0 2279 रकबा 7 बीघा, खसरा संख्या 2275 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि के खातेदार हीरा पुत्र राजा की की वर्ष 1975 में मृत्यु होने पर अपीलाधीन नामा0 संख्या 549 ग्राम पंचायत लेटा, आहोर के द्वारा मात्र उनके एक पुत्र थानीया (रेस्पो0 संख्या 6) के नाम स्वीकृत किया गया है। खातेदार हीरा पुत्र राजा की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र, पत्नि एवं अन्य पुत्रिया भी अन्य वारिसान भी तत्समय जीवित थे जिनका नाम भी उत्तराधिकार के तहत अपीलाधीन नामा0 में दर्ज होने चाहिये थे। रेस्पोडेन्ट ने अपनी प्रथम अपील में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि खातेदार हीरा पुत्र राजा के वारिसान में से उनके पुत्र ओटा,

थानीया, मु0 वनी व नाजू का देहान्त हो गया है, उनके वारिसान वर्तमान द्वितीय अपील में अन्य रेस्पोडेन्टस के रूप में संस्थित किये गये, वो भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनके वारिसान है। ऐसे में उनका नाम भी राजस्व रेकर्ड में वारिसान के रूप में दर्ज किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक ता दो की अपील को स्वीकार करते हुए उनके पूर्वज खातेदार हीरा पुत्र राजा के देहान्त उपरान्त स्वीकृत किये गये फौतेदगी नामा0 संख्या 549 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार जालोर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि वे मृतक खातेदार हीरा पुत्र राजा भांबी के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सभी वारिसान की विधिवत जॉच कर पुनः विधिवत नामा0 पारित करे। वो उचित है।

8. रेस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश को चुनौती देने की कोई वैधानिकता नहीं रखता है क्योंकि अपीलाधीन नामा0 उनके पूर्वज की मृत्यु उपरान्त स्वीकृत किये गये त्रुटिपूर्ण दर्ज किये गये नामा0 में उनका वारिसान के रूप में नाज दर्ज करवाने की प्रार्थना के सम्बन्ध में है, और जिस समय नामा0 स्वीकृत किया गया था उस समय अपीलान्ट उक्त वादग्रस्त भूमि पर कोई हक–अधिकार नहीं दर्शा सकता है। अपीलान्ट केवल मात्र थाना पुत्र हीरा से ही उनके हक–हिस्से में आने वाली भूमि पर अपने हक–अधिकारों के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो पूर्ण रूप से उचित पारित किया गया है अतः अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावे तथा अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावें।

9. हमने दोनों पक्षों के द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विद्वान जिला उपखण्ड अधिकारी, आहोर के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 2 की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए दिनांक 23.06.2017 के द्वारा यह आदेश दिया कि ''प्रकरण तहसीलदार जालोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे मृतक खातेदार हीरा पुत्र राजा के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सभी विधिक वारिसानों की जॉच कर पुनः विधिवत म्यूटेशन पारित करें।'' उसे उचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तत्समय की वर्तमान जमाबन्दी/राजस्व रेकर्ड के सम्बन्ध में किसी प्रकार की टिप्पणी अथवा रेकर्ड तहसीलदार से तलब नहीं किया और न ही वादग्रस्त भूमि में हुए बेचान/किस्म परिवर्तन हो जाने इत्यादि तथ्यों को रेकर्ड पर नहीं लिया गया, मात्र प्रथम अपील अपीलान्ट के कथनों के आधार पर अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील को स्वीकार करने से पूर्व यानि वर्ष 1976 में स्वीकृत हुए

नामान्तकरण को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत हुई अपील के विलम्ब अवधि को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिये था।

10. इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि में से कुछ भू–भाग की भूमि का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होना भी अन्य अपील संख्या 30/2018 रोहित बनाम भोमाराम वगैराह में उल्लेखित ध्यान में आया है, तो ऐसी भूमि के विवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं रह जाता। रेस्पोडेन्टस को अपने हक–अधिकारों की प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय के नियमित वाद दायर करते हुए वांछित अनुतोष प्राप्त करने की कार्यवाही करनी चाहिये थी। इस प्रकार हमारा विनम्र मत है कि उल्लेखित समस्त तथ्यों एवं अपीलान्ट की अपील में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किये जाने तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त खसरान नम्बरान की भूमि की अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 से पूर्व की जमाबन्दी/राजस्व रेकर्ड/अन्य स्वीकृत किये गये नामान्तरकरणों की स्थिति बहाल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर द्वारा प्रथम अपील संख्या 13/2014 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 को निरस्त किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 से पूर्व की जमाबन्दी/राजस्व रेकर्ड/अन्य स्वीकृत किये गये नामान्तरकरणों की स्थिति बहाल रखी जाती है। निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

**(बी0एल0 कोठारी)**
**डिवीजनल कमिश्नर,**
**जोधपुर**